चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 04.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ‘‘एंटी रोमियो स्क्वायड’’ टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 04.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 04.01.2025 को मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृतपाल कौर की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार कर्वी में किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक ने भूमि सम्बन्धित मामलों पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से कहा कि राजस्व, चकबंदी एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाये।

इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी श्री भूपेश द्विवेदी, उपजिलाधिकारी सुश्री पूजा साहू,तहसीलदार कर्वी श्री वाचशपति सिंह,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह,थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं राजस्व,पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

(4). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सदन मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एससी एसटी एनडीपीएस कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 04.01.2025 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त चन्द्रकमल पुत्र देशराज यादव निवासी छेरिया खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 19.04.2022 को थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त चन्द्रकमल उपरोक्त को 01 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 19/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना मारकुण्डी में नियुक्त उ0नि0 श्री मानसिंह यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 09.05.2022 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्दशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 22 क्वार्टर व 10 लीटर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी नीतू द्विवेदी द्वारा अभियुक्त गुलाब बाबू पुत्र जगबली उपाध्याय निवासी कसहाई रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 22 पाउच अवैध देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री कुँवर प्रखर सिंह थाना मानिकपुर मय हमराह आरक्षी अजीजउद्दीन व आरक्षी धीरेन्द्र द्वारा अभियुक्त गोकुल प्रसाद पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम कटरा मजरा गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6).